

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ****आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या- 2426 वर्ष 2026**

नितेश @ नितेश लोध

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से एवं एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : धीरेन्द्र सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, अनूप कुमार उपाध्याय

न्यायालय संख्या – 16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

1. श्री अनूप कुमार उपाध्याय, अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल कर उपस्थिति दर्ज करायी है और उसे पत्रावली में लिया गया है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री अनूप कुमार उपाध्याय, विपक्षी संख्या 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
3. विवादित आरोप-पत्र संख्या 509/2022, दिनांक 12.12.2022 धारा-308, 323, 354 भारतीय दंड संहिता, और धारा 3(2)(वीए) एससी/एसटी अधिनियम, पुलिस स्टेशन- पुरवा, जिला -उन्नाव साथ ही विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 2, उन्नाव के सत्र वाद संख्या 1645/2023, 'राज्य बनाम नितेश लोध एवं अन्य' में मुकदमा अपराध संख्या 0510/2022 से उत्पन्न, धारा 308, 323, 354 भारतीय दंड

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संहिता और धारा 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट, पुलिस स्टेशन - पुरवा, जिला -उन्नाव में दिनांक 03.11.2023 को पारित समन आदेश को समझौता दिनांक 12.02.2026 के आधार पर रद्द करने के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया गया है।

4. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ गलतफहमी के तहत वर्तमान प्राथमिकी आवेदकों के विरुद्ध दर्ज किया गया है और उसके बाद, पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद को सुलझा लिया है। समझौता विलेख दिनांक 12.02.2026 को लिखित रूप में निष्पादित कर दिया गया है जिसे वर्तमान आवेदन के अनुलग्नक संख्या 6 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब पक्षों के बीच एक-दूसरे के साथ कोई शिकायत नहीं है और आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही व्यर्थ है क्योंकि मुकदमे का कोई भाग्य नहीं है और यह आवेदकों के उत्पीड़न के समान है और इस प्रकार, आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

5. दूसरी ओर, विपरीत पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के संस्करण का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि पक्षों ने एक समझौता विलेख के माध्यम से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और वर्तमान आवेदकों के खिलाफ विपक्षी दलों की कोई और शिकायत नहीं है और आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद की जा सकती है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. अब क्या पक्षकारों ने वास्तव में मामले में समझौता किया है या नहीं, इसका सबसे अच्छा पता विचारण न्यायालय द्वारा लगाया जा सकता है क्योंकि इस तरह के समझौते को अदालत के समक्ष संबंधित पक्षों की उपस्थिति में विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए।
8. तदनुसार, इस आवेदन को संबंधित अदालत को एक निर्देश के साथ **निपटाया** जाता है कि यदि उसके समक्ष ऐसा कोई समझौता दायर किया जाता है, तो वह समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता के लिए नोटिस जारी करेगा और उसके बाद, समझौते को सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ेगा। यदि उपरोक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और समझौते को पत्रावली का हिस्सा बनाया जाएगा।
9. उस परिदृश्य में अदालत पक्षों को रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के साथ-साथ समझौता करने की अनुमति देगी और यह आवेदकों के लिए कार्यवाही को रद्द करने के लिए फिर से इस न्यायालय के समक्ष आने के लिए खुला होगा।
10. तीन महीने की अवधि के लिए, विवादित आरोप-पत्र संख्या 509/2022, दिनांक 12.12.2022 धारा-308, 323, 354 भारतीय दंड संहिता, और धारा 3(2)(वीए) एससी/एसटी अधिनियम, पुलिस स्टेशन- पुरवा, जिला -उन्नाव साथ ही विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 2, उन्नाव के सत्र वाद संख्या 1645/2023, 'राज्य बनाम नितेश लोध एवं अन्य' में मुकदमा अपराध संख्या 0510/2022 से उत्पन्न, धारा 308, 323, 354 भारतीय दंड संहिता और धारा 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट, पुलिस स्टेशन - पुरवा, जिला -उन्नाव में दिनांक 03.11.2023 को पारित समन आदेश, जहाँ तक आवेदकों का प्रश्न है, पर रोक रहेगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. विचारण न्यायालय को इस तथ्य की जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वे सभी पक्ष जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, समझौते में पक्ष थे और इस संबंध में, वह सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी भेजेगी।
12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मूल समझौता विलेख की फोटोकॉपी लेने के बाद आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को, यदि कोई हो, लौटा दें।

मार्च 25, 2026

वी सिन्हा/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।